TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 26, 2012

S.O.212.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act. 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification No. F6.(179)/Pari/Tax/Flqrs/95/1P, dated 09.03.2010, namely:-

AMENDMENTS .

In the table of the said notification,-

(i) The existing clause (A) and entries thereto of serial number 1 shall be substituted by the following, namely:

(A)Two wheeled vehicles having engine capacity	
(i) Upto 125cc.	4% of the cost of the vehicle
(ii) More than 125cc.	6% of the cost of the vehicle

(ii) The existing clause (C) and entries thereto of serial number 1 shall be substituted by the following, namely:-

(C) Four wheeled vehicles	
With seating capacity up to 10 including driver	
(i) Cost of vehicle up to Rs. 2.50,000	2.5% of the cost of the vehicle
(ii) Cost of vehicle more than Rs. 2.50.000 and up to Rs. 6.00.000	5% of the cost of the vehicle
(iii) Cost of vehicle more than Rs. 6,00,000	8% of the cost of the vehicle

[No. F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2012/1Q] By Order of the Governor,

Mahendra Soni, Deputy Secretary to Government.

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, 26 मार्च, 2012

एस.ओ.212.- राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनयम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ.6(179)पिर/कर/मु0/95/1पी, दिनांक 09.03.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक । के विद्यमान खण्ड (क) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(क) इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन	
(i) 125 सीसी तक	यान की लागत का 4%
(ii) 125 सीसी से अधिक	यान की लागत का 6%

(ii) क्रम संख्यांक । के विद्यमान खण्ड (ग) और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नितिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

(21)	चारपहिया यान	3
	र को सम्मिलित करते हुए 10 तक भीट क्षमता वाले-	-
(i)	2,50,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	यान की लागत का 2.5%
(ii)	2,50,000/- रुपये से अधिक और 6,00,000/- रुपये तक की लागत वाले यान	
(iii)	6,00,000/- रुपये से अधिक की लागत वाले यान	यान की लागत का 8%

[एफ.6(179)परि/कर/मु०/२०12/1क्यू] राज्यपाल के आदेश से,

> महेन्द्र सोनी, शासन उप सचिव